GRPI-211-6L-11-94	V-190/CR.J.(e)

SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898	
in the court of Class	
Case No343/2017 Complaint or report made on	
Name and address of the Complainantशा0पु0गोहद चौराहा बनाम सुलेमान खां	
La. 3.	
Name, parentage, caste and address of accused	
The Control of the Co	

1. सुलेमान खां पुत्र रहमान खां उम्र 35 साल निवासी सुमेर कॉलोनी थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 15/11/17 के 19:20 बजे से 19:30 बजे के मध्य स्थान नहर बम्बा के पास सुमेर कॉलोनी थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 21 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को अपने आधिपत्य में रखा जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The Offence proved, if any and in case cluse(d),clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(निर्णय)

(आज दिनांक 06.12.2017 को घोषित)

- 1. आरोपी / गण के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अपराध के आरोप हैं।
- 2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
- 3. आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी / गण को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है एवं आरोपी / आरोपीगण को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2100 / रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपी / आरोपीगण को पांच दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जब्तशुदा 21 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा विधिवत निराकरण हेतु जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

स्थान— गोहद दिनांक— 06.12.2017

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता० व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी गोहद

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी गोहद

SON AUDITAL